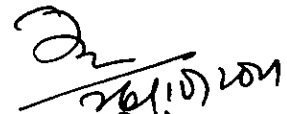


बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(चकबंदी निदेशालय)  
आदेश  
(शुद्धि पत्र)

संख्या :- 11/चक0-वि0-5-7/21.901/पटना, दिनांक 26/10/2021  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विभागीय वेबसाईट पर अधिसूचना सं0-1085 दिनांक 24.11.80 द्वारा मौजा-बभनौली, थाना नं0-363, अंचल- आरा सदर कार्यालय उपयोग एवं आमजनों हेतु चकबंदी अधिनियम की धारा 26 (क) में अनाधिसूचित होने से संबंधित सूचना परिलक्षित हो रहे हैं। चकबंदी पदाधिकारी, आरा सदर (भोजपुर) से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार मौजा बभनौली, थाना नं0-273, अंचल-आरा सदर को चकबंदी अधिनियम की धारा 26 (क) के अंतर्गत अधिसूचना सं0 1085 दिनांक 24.11.80 द्वारा अनाधिसूचित होने को प्रतिवेदित किया गया है।

अतएव चकबंदी पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मौजा-बभनौली, थाना नं0-363 के स्थान पर थाना नं0- 273 कार्यालय उपयोग एवं आमजनों की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट पर अवलोकन हेतु उपलब्ध कराई जा रही है।

  
नवल किशोर  
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0)  
बिहार, पटना।